सत्यमेव जयते

संख्या– 4402 /जी0एस0(शिक्षा)/**A16-37**/2025

प्रेषक,

रीना जोशी
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,
अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 23 फरवरी, 2026

महोदय,

कृपया पत्र संख्या 1069 दिनांक 04 मई, 2024, अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230515031801, प्रस्ताव क्रमांक 240213102556, प्रस्ताव क्रमांक 250103115841 तथा प्रस्ताव क्रमांक 250908041605 के माध्यम से प्रेषित निम्नलिखित प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा–33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
राजकीय महाविद्यालय, पाटी, चम्पावत।	बी0ए0–(इतिहास एवं शिक्षाशास्त्र की नवीन अस्थाई सम्बद्धता तथा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं समाजशास्त्र की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण	80	2022–23
	बी0ए0–(इतिहास, शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं समाजशास्त्र) अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण	80	2023–24 2024–25
	बी0ए0–(भूगोल एवं राजनीतिशास्त्र की नवीन अस्थाई सम्बद्धता तथा इतिहास, शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं समाजशास्त्र की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण	80	2025–26

(1) सभी लम्बित प्रस्तावों की अस्थाई सम्बद्धता की कार्यवाही चालू सत्र में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के

पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया,
Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 19-02-2026
15:25:16
(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या– 4402 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A16-37** /2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 19-02-2026
16:04:47
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।

File No. RB-EDUC02/136/2025-RAJBHAWAN (Computer No. 1830)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 23/02/2026 04:32 pm